

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक ता० से तक

जिला - राँची

केस का प्रकार : विविध वाद (जमाबंदी निरस्तीकरण)

वाद संख्या 49/22-23

आदेश और तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी ता० सहित
26/12/22	<p>आवेदक राम किशोर ओहदार, पिता- पुनीनाथ ओहदार पता- बुटी धाना- सदर, जिला- राँची द्वारा मौजा डुमरदगा के पंजी 11 भाग संख्या 1 पृष्ठ संख्या 137 में खाता संख्या 2 प्लॉट संख्या 69 प्लॉट संख्या 109, 114, 124 में आवश्यक सुधार हेतु आवेदन समर्पित किया गया है। उक्त के आलोक में उभय पक्षों को दिनांक 04.08.2021 एवं 26.12.2022 को नोटिस निर्गत किया गया।</p> <p style="text-align: right;">अंचल अधिकारी, कोँके, राँची।</p>	
28/04/23	<p>अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्षों द्वारा समर्पित कागजात एवं राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के अवलोकन से यह मामला पारिवारिक विवाद से संबंधित है। जिसका निपटारा व्यवहार न्यायालय से किया जा सकता है।</p> <p>अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;">अंचल अधिकारी, कोँके, राँची।</p> <p style="text-align: right;">अंचल अधिकारी, कोँके, राँची।</p>	

सेवा में,

अंचल अधिकारी,
कोंके, रौंची।

विषय : प्रेम किशोर नाथ ओहदार के द्वारा समर्पित आवेदन के आलोक में जाँच प्रतिवेदन का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में प्रतिवेदित किया जाता है कि मौजा डुमरदगा के पंजी 11 भाग संख्या 1 पृष्ठ संख्या 137 में खाता संख्या 2 प्लॉट संख्या 69 प्लॉट संख्या 109, 114, 124 के कागजात के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मामला पारिवारिक विवाद से संबंधित है। जिसका निपटारा व्यवहार न्यायालय से किया जा सकता है।

प्रतिवेदन समर्पित।

प्र.श.
28/4/23

प्र.श.
28/4/23

प्र.श.
28/4/23
(310/23)